



## राजस्थान सरकार

### स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक री-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in  
क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/ 624 दिनांक: 13/2/2024

### आदेश

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिये वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102201948 दिनांक 02.05.2022 द्वारा राज्य स्तर पर निम्नांकित पदों के सृजन एवं 240 नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) स्तर पर संविदा कार्मिक लिये जाने हेतु दी गई सहमति की अवधि को दिनांक 28.02.2025 तक पूर्व शर्तों के अधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

#### 1. (अ) राज्य स्तर पर स्वीकृत पद :-

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता/मूल पद	पदों की संख्या	नियोजन का प्रकार
1	परियोजना निदेशक (तकनीकी)	मुख्य अभियंता (सिविल)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
2	वित्त प्रबंधक	मुख्य लेखाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
3	अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
4	उप परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधिशापी अभियंता (सिविल)	02	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
5	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर	राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी सेवा	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
6	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता (सिविल)	03	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
योग			09	

उक्त के अतिरिक्त 01 लेखा मैनेजर (CA/ICWA/CS), 01 स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर, 02 लेखा सहायक एवं 04 एम.आई.एस. मैनेजर की सेवायें संविदा के आधार पर लिये जाने की अवधि दिनांक 28.02.2025 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ब) निकाय स्तर पर :-श्रेणीवार निम्नानुसार कार्मिक संविदा आधार पर लिये जाने की अवधि दिनांक 28.02.2025 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पदनाम	नगर पालिका श्रेणी-चतुर्थ एवं तृतीय कुल 156 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर पालिका श्रेणी-द्वितीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	02	02	03	05
2	लेखा सहायक	01	01	02	03
3	एम.आई.एस.मैनेजर	01	01	02	03
4	शहरी रोजगार सहायक	02	03	04	07
योग निकायवार		06	07	11	18

निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन तथा होमगार्ड की सेवायें संविदा के आधार पर निम्नानुसार लिये जाने की स्वीकृति की अवधि दिनांक 28.02.2025 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	नगर पालिका श्रेणी-चतुर्थ एवं तृतीय कुल 156 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर पालिका श्रेणी-द्वितीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत
1	मशीन विथ मैन	02	02	03	05
2	मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड	02	03	03	05
योग निकायवार		04	05	06	10

2. (अ) वित्त विभाग की आई0डी0 सं0 102205237 दिनांक 19.09.2022 में अंकित 27 नवगठित नगर पालिकाओं के लिये संविदा आधार पर कार्मिक लिये जाने की दी गई सहमति की अवधि दिनांक 28.02.2025 तक पूर्व शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	पदनाम	नवगठित 27 नगर पालिकाओं श्रेणी-चतुर्थ में संविदा आधार पर कार्मिक लेने की संख्या (प्रति नगर पालिका)
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	02
2	लेखा सहायक	01
3	एम.आई.एस.मैनेजर	01
4	शहरी रोजगार सहायक	02
	योग निकायवार (अ)	06

- (ब) उक्त नवगठित 27 नगर पालिकाओं में निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन तथा होमगार्ड की सेवाये संविदा के आधार पर लिये जाने की अवधि दिनांक 28.02.2025 तक पूर्व शर्तों के अध्यक्षीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	नवगठित 27 नगर पालिकाओं श्रेणी-चतुर्थ में संविदा आधार पर कार्मिक लेने की संख्या (प्रति नगर पालिका)
1	मशीन विथ मैन	02
2	मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड	02
	योग निकायवार (ब)	04

वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय योजना के 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना अनुमत किया है।  
उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102400150 दिनांक 01.02.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(टी. रविकान्त)

प्रमुख शासन सचिव

दिनांक: 13/2/2024

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/625-1187

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त समस्त राजस्थान।
12. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY-U) समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. परियोजना निदेशक (IRGY-U)/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक (IT) स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. उपनिदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. सचिव भर्ती बोर्ड, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
19. समस्त आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
20. स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
21. सुरक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार आला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव